कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
दूरभाष सं.-0135-2608973, 2608974

विज्ञप्ति

1— उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में शासनादेश सं. 482/XLIII(1)/15-20(05)14 दि. 30.03.2015 द्वारा सृजित अनुभाग अधिकारी के 02 पद हेतु राज्य सरकार के सचिवालय/विभागों/संस्थानों/निगमों/आयोगों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/समितियों/परियोजना प्रबंधन इकाईयों आदि के विभिन्न कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के नियमित अथवा सेवानिवृत अथवा संविदा पर कार्यरत, निम्न विवरणानुसार न्यूनतम अर्हता रखने वाले, इच्छुक कार्मिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	नियुक्ति की प्रकृति	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	न्यूनतम अर्हता/ अभ्युक्ति
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
1	अनुभाग अधिकारी	02	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण	₹ 9300-34800 एवं जी.पी. ₹ 4800/-	सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 1337/XXXI(13)G/2011, दि. 28.10.2011 में इंगित सेवाओं से संबंधित राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का कम-से-कम 20 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 03 वर्ष ग्रेड पे ₹ 4800/- या ₹ 4600/- के स्तर पर कार्य किया हो। किसी आयोग/योजना/परियोजना आदि के अंतर्गत जन-सामान्य को सेवा प्रदान करने, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा योजनाओं के क्रियांवयन आदि का अनुभव रखने तथा कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले कार्मिक/अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
			संविदा	नियत वेतन ₹ 30000/- प्रतिमाह	

2— उपरोक्तानुसार नियमित कार्मिक, जो प्रभावी नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर कार्य करने के इच्छुक हों, कृपया अपना सुस्पष्ट आवेदन-पत्र अपने सेवा-विवरण, कार्यानुभव एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित अग्रसारित करायें।

3— उपरोक्तानुसार सेवानिवृत कार्मिक एवं संविदा कार्मिक कृपया अपने सेवा विवरण, कार्यानुभव/बायोडाटा, पेंशन भुगतान आदेश (सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु) तथा प्रमाण-पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रति सहित आवेदन-पत्र सीधे प्रेषित करें।

4— उक्त पद माह फरवरी, 2016 तक के लिए सृजित है, जिसके निरन्तर बने रहने की संभावना है।

5— आवेदन-पत्र प्रत्येक दशा में सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को उक्त पते पर केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड-पोस्ट के माध्यम से दि. 25-10-2015 तक प्राप्त हो जायें। लिफाफे के ऊपर "**अनुभाग अधिकारी के पद हेतु आवेदन**" लिखा जाये। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

6— उक्त पद/नियुक्ति को बिना सूचना के रद्द करने तथा नियुक्ति पर अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

सचिव
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग।